103

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः मनोज गोयल,

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1172-पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दि.11-2-2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद, प्रकरण क्रमांक 12/अपील/2014-15

1-बसंती पिता इमरत बेवा फगना
निवासी सिलपटी तहसील शाहपुर जिला बैतूल
2-सेवन्ती पिता इमरत पति जोगी
निवासी सिलपटी तहसील शाहपुर जिला बैतूल
3-गोपाल व. ओझा
4-उमराव व. ओझा
5-रघुवीर व. ओझा
6-धन्नू व. ओझा
7-भागूलाल व. ओझा
8-सालकराम व. ओझा
9-रूखमणी पिता ओझा
10-दिलीप पिता ओझा
निवासीगण सेहरा पो0केसिया
तहसील शाहपुर जिला बैतूल

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1-रामप्यारी पिता इमरत पति सज्जनलाल
2-मुकेश व. सज्जनलाल
दोनों निवासी साकादेही तहसील जिला बैतूल
3-सरबती पत्नी मित्री
निवासी कालडोंगरी पोस्ट बासनेर कला तहसील भैंसदेही जिला बैतूल

.....अनावेदकगण

श्री मनोहर हिरे, अभिभाषक--आवेदकगण
श्री जी0एस0वामने, अभिभाषक--अनावेदक क्रमांक 1 व 2

** आ दे श **

(आज दिनांक 11/5/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-2-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम बांसपानी पटवारी हल्का नम्बर 29 में स्थित खसरा नम्बर 70 रकबा 2.270 हेक्टेयर मौजा साकादेही में खसरा नम्बर 99 रकबा 0.210 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर100 रकबा 0.275 हेक्टेयर अपीलार्थीगण क्रमांक 1 से 8 की मॉ संतरी के पिता इमरत तथा अपीलार्थीगण क्रमांक 9 व 10 के पिता इमरत के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी । मूल भूमि स्वामी इमरत की मृत्यु दिनांक 19-2-1989 को हो चुकी है इनकी पांच पुत्रियॉ थी । अनावेदकगण द्वारा अपंजीकृत वसीयतनामा तथा सहमती पत्र के आधार पर अधीक्षक भू-अभिलेख के द्वारा संशोधन पंजी 1988-89 का संशोधन क्रमांक 9 दिनांक 12-9-1989/28-9-1989 के आधार पर प्रमाणीकरण उपरांत अपने नाम दर्ज करा ली जिसकी जानकारी अपीलार्थीगण को होने पर संशोधन नामान्तरण के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 19-8-14 को आदेश पारित कर संशोधन आदेश यथावत रखते हुये अपील खारिज की । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 11-2-2016 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :-

(1) वसीयत निष्पादित किये जाने पर उसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अन्तर्गत अनुप्रमाणक साक्षी के कथन सिद्ध किया जाना आवश्यक है, जो कि नहीं किये गये हैं ।

(2) अधीक्षक भू-अभिलेख ने अपने अधिकारिता से परे जाकर आज्ञापक प्रावधानों की अनदेखी कर हितबद्ध पक्षकारों को सुने बगैर उक्त नामान्तरण किया है जो विधि विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैतूल द्वारा पारित आदेश में यह स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है कि प्रमाणीकरण के पूर्व इमरत की अन्य पुत्री संतरी बाई सेवन्ती सरस्वती बाई द्वारा अनावेदकगण के पक्ष में सहमति पत्र लिखकर दिया गया । उक्त निष्कर्ष विधि विरूद्ध है क्योंकि पारित संशोधन पीठ पीछे फर्जी आधार पर किया गया है।

(4) मृतक की संपत्ति के हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का कोई अवसर ही नहीं दिया गया है । अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के मध्य दुंरभि संधि है तथा वे अब आवेदक को भी पैसे का लालच देकर आवेदकगण क्रमांक2 वे 8 तक को विधि सम्यक न्यायदान से वंचित करने का प्रयास कर रहे है ।

(5) मृतक इमरत की पुत्रियॉ आवेदकगण क्रमांक 1 व 2 तथा क्रमांक 3 से 8 की मॉ संतरी एवं गैर पुनरीक्षणकर्ता क्रमांक 1 व 3 का उक्त भूमि में हित अधिकार निहित है, इस तथ्य की अनदेखी कर पारित नामान्तरण अवैध है ।

इस संबंध में 2012(4) एमपीएलजे 238, 2013(2) आईएलआर (म.प्र.) 995, 2016 आरएन 34, 2009(2) एमपीडब्ल्यूएन 47, 2002 आरएन 334, 2009(3)एमपीएलजे 246, 2013(1) एमपीडब्ल्यू 121, 2013(3) एमपीएलजे 114 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :-

(1) आवेदकगण क्रमांक 2 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त न्यायालय व इस न्यायालय में शपथपत्र देकर कोई कार्यवाही नहीं चाहने बावत् प्रस्तुत किया है और पिता के द्वारा वसीयत दिनांक 11-1-1989 एवं चारो बहनों के द्वारा दी गई सहमति की लिखा पढी थी जिस पर उसे कोई आपत्ति नहीं है ।

(2) आवेदकगण का भी किसी प्रकार से उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं रहा है और ना ही कोई भूमि संबंधी वाद विवाद हुआ ।

(3) मृतक इमरत की मृत्यु उपरांत चारो बहन बंसती, सेवन्ती, सरबती व सन्तरी नामान्तरण कार्यवाहीमें उपस्थित हुई एवं उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की ।

(4) राजस्व निरीक्षक को नामान्तरण के अविवादित मामले में आदेश पारित करने का अधिकार है ।

(5) अनावेदक क्रमांक 1 व 2 का 35 वर्षो से लगातार कब्जा वर्तमान तक शांतिपूर्वक चला आने से कब्जा के आधार पर विधि के अनुसार स्वमेव भूमिस्वामी हक प्राप्त हो जाता है।

(6) अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के नाम का नामान्तरण मृतक इमरत की मृत्यु उपरांत दर्ज हुआ है । जिसकी जानकारी चारों बहनों को रही है ।

तर्क के समर्थन में 1988 आरएन 220, 1984 आरएन 15, 1983 आरएन 106, 1980 आरएन 280 व 408 एवं 1978 आरएन 36 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा अपंजीकृत वसीयत के आधार पर पंजी नामान्तरण किया गया है तथा पंजी भी दूसरे गॉव की थी । बाकी वारिसों को कोई सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है और न ही सहमति भी नहीं ली गई है । उभयपक्ष द्वारा मूल वसीयत किसी भी न्यायालय में पेश नहीं की गई है तथा वसीयत की उसके गवाहों द्वारा किसी भी न्यायालय में पुष्टि नहीं कराई गई है । अत: प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को सभी पक्षों को सुनकर तथा वसीयत का प्रमाणीकरण कर नियमानुसार निर्णय लेने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-2-2016, अनुविभागीय अधिकारी बैतूल द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-8-2014 एवं अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा संशोधन पंजी 1988-89 पर पारित आदेश दिनांक 12-9-89/28-9-89 निरस्त किये जाते है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में सभी पक्षों को सुनकर तथा वसीयत का प्रमाणीकरण कर नियमानुसार निर्णय लेने हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर